संख्या-96/2015/1167/41-2015-406 सा0/13 टीसी-।।।

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 05 जून 2015

विषय- राज्य सैक्टर के अन्तर्गत जनपद महोबा में रहेलिया सूर्य मंदिर, रिहुनिया सागर काली मां का मन्दिर सूर्य कुण्ड के पहुंच मार्ग के सुधार हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-225/6-1-1(419)/महोबा/मु0म0घो0/2015, दिनांक 06-05-2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद महोबा में रहेलिया सूर्य मंदिर, रिहुनिया सागर काली मां का मन्दिर सूर्य कुण्ड के पहुंच मार्ग के सुधार की योजना हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्टर कारपोरेशन द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0-205.69 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-100.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 69/2684/41-2014-406 सा0/13 टीसी-।।, दिनांक 07.11.2014 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद महोबा में रहेलिया सूर्य मंदिर, रिहुनिया सागर काली मां का मन्दिर सूर्य कुण्ड के पहुंच मार्ग के सुधार की योजना हेतु अन्तिम किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 105.69 लाख की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं -

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
3. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
4. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5. सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी द्वारा नियमित रूप से योजना का अनुश्रवण किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति पर्यटन निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पडे।

3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-80-सामान्य-104- संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30-03-2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव

<u>संख्या-96/2015/1167(1)/41-2015 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4

6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्टर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

7- सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी।

8- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।

9- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।